न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सेवाराम स्वामी, आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 653/2015

श्रीमती कज्जी देवी पुत्री स्व. श्री परता पत्नी मूलचन्द बुनकर निवासी चौप, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

–अपीलार्थियां/वादियां–

बनाम

1. हनुमान पुत्र स्व. श्री भैरया (मृतक दौराने दावा)

1/1 अनिल
1/2 सोहन
1/3 कैलाश
1/4 ताराचन्द्र
पुत्रान स्व. श्री हनुमान प्रसा समस्त जाति बुनकर, निवासी ग्राम महेशपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर, हाल निवास 21/51 गली नम्बर 13 आनन्द पर्वत, गडोदिया, रोड, नई बस्ती, दिल्ली।

1/5 शीला
1/6 लाली
1/7 लता
1/8 उषा
1/9 रेखा
पुत्रियान स्व. श्री हनुमान, समस्त जाति बुनकर, निवासी कालस्पा मंदिर के पास गणेशपुरी, सवै नं. 9/98 गलता गेट जयपुर।

2. सुरेश पुत्र स्व. श्री नारायण पुत्र स्व. री भैरया (फौत)
3. नन्छू पुत्र स्व. श्री नाथ्या
   समस्त जाति बलाई, निवासी महेशपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
4. श्रीमती चन्द्रकला पत्नी श्री कैलाश कुमार, जाति खटीक निवासी प्लाट नम्बर 7, जमनापुरी, मुरलीपुरा स्कीम, जयपुर।
5. मैनेजर इलाहाबाद बैंक शाखा किशनपोल बाजार जयपुर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर, जिला जयपुर।
7. उप पंजीयक आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण–

उपस्थित अधिवक्तागणः–

1– श्री ताराचन्द मीणा अपीलार्थी की ओर से।
2– श्री घीसालाल कुमावत रेस्पोडेंट्स की ओर से।

:– निर्णय :– दिनांक :– 04–01–2018

1. यह अपील अन्तर्गत धारा 223 विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 09.11.2015 न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर जयपुर तहत वाद पत्र उनवानी श्रीमती कज्जी देवी बनाम हनुमान वगैरा मुकदमा नम्बर 133/2008 प्रस्तुत किया गया है।

2– प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थिया/वादिया ने एक दावा बाबत घोषणा, विभाजन व स्थाई निषधाज्ञा मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इन अभिवचनों के साथ प्रस्तुत किया कि अपीलार्थिया/वादियां की पैतृक भूमि ग्राम महेशपुरा पंचायत जयरामपुरा पंचायत समिति आमेर जिला जयपुर में स्थित है जिसके वर्तमान में कुल खसरा नम्बर 22 रकबा 9.57 हैक्टै0 है, उक्त भूमि पूर्व में अपीलार्थिया/वादिया के दादा गोविन्दा बलाई में नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी जो उनकी मृत्यु के बाद

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

उसके तीन बेटों क्रमशः भैरया, नाथ्या, एवं परता (अपीलार्थिया/वादिया के पिता) के नाम बराबर हिस्सों में आई एवं नामान्तरकरण संख्या 28 दिनांक 15/17–5–1973 के द्वारा उनके नाम दर्ज होकर उन्हें खातेदार काश्तकार घोषित किया गया। नामान्तरण के आधार पर जमाबन्दी संवंत 2025–28 में उक्त भूमि में भैरया 1/3 हिस्सा, नाथ्या 1/3 हिस्सा एवं परता 1/3 हिस्सा दर्शाया गया है उक्त जमाबन्दी में भूमि के खसरा नम्बर क्रमश 52, 51, 53, 54, 55, 41, 50, 67, 68, 69, 70, 71, 72 एवं 73 दर्शाय गये है। उक्त भूमि में अपीलार्थियां/वादिया के पिता स्व. परता का बराबर का 1/3 हिस्सा था अतः अपीलार्थिया/वादिया के पिता की मृत्यु के पश्चात अपीलार्थिया/वादिया उसके पिता की भूमि की एकमात्र वारिस हुई। अपीलार्थिया/वादिया के पिता के कोई पुत्र अर्थात अपीलार्थिया/वादिया का भाई उत्पन्न नहीं हुआ था। अपीलार्थिया/वादियां अनपढ लिखा पढी की बातों से अन्जान तथा पैतृक गांव से दूर रहने के कारण यह नहीं जान सकी कि उसके पिता की मृत्यु के बाद उसके पिता के हिस्से की जमीन किसके नाम चल रही है। अपीलार्थिया/वादियां तो इसी झांसे में रही कि प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 3 उसे फसल की बंटाई इसलिए दे रहे हैं कि वह अपने पिता की छोडी गई जमीन की मालकिन है। राजस्व विभाग में क्या लिखा पढी करनी है इसका कोई ज्ञान नहीं था। लेकिन इस बार जब राखी पर उन्होनें बांटा देने से इन्कार कर दिया तब अपीलार्थिया/वादिया को शंका हुई तथा राजस्व रिकॉर्ड प्राप्त करने पर उसके चचेरे भाईयों द्वारा किया गया षडयंत्र जिसके द्वारा उन्होनें अपीलार्थिया/वादिया अर्थात अपनी बहिन की जमीन को हडप लिया है के बारे में जानकारी हुई। इसलिए अपीलार्थी/वादी को माननीय न्यायालय के समक्ष यह वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। वाद पत्र पेश कर निवेदन किया गया है कि वाद बहक अपीलार्थी/वादियां एवं विरूद्ध प्रत्यर्थीगण डिक्री फरमाया जाकर आदेश पारित किया जावे कि वादग्रस्त भूमि मे प्रत्यर्थीगण की गलत खातेदारी दर्ज होने के कारण उसे निरस्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थिया वादिया को उसके हिस्से की भूमि का खातेदार घोषित किया जावे एवं वादग्रस्त भूमि का विभाजन किया जावे। प्रत्यर्थीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे उक्त भूमि तथा उसके किसी हिस्से को खुदबुर्द न करे, न ही किसी को बेचे और न ही किसी को रहन रखे और न ही उसका टाईटल बदले, यह कि प्रत्यर्थीगण, अपीलार्थिया/वादिया के हिस्से की जमीन में किसी प्रकार की दखलदान्जी न तो स्वयं करे, न ही किसी अन्य से कराने हेतु पाबन्द किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 09.11.2015 को अपीलार्थिया/वादिया का वाद यह कहते हुए खारिज फरमाया गया कि "प्रार्थना पत्र कायम मुकाम खारिज किया जाता है दावा अबैट हो जाने के कारण खारिज किया जाता है। आलोच्य निर्णय व डिक्री दिनांक 09.11.2015 से क्षुब्ध होकर अपीलार्थिया/वादिया की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3– अपीलार्थिया द्वारा अपनी अपील में कथन किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली का अवलोकन किये बिना व अपीलार्थिया/वादियां द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कायम मुकामान व न्यायिक दृष्टान्त का अवलोकन किये बिना उनसे गलत अर्थ लगाकर कानूनी सिद्धान्तों की अनदेखी कर अपने स्वविवेक का प्रयोग न कर दिनांक 09.11.2015 को अपीलाधीन निर्णय पारित करने में भंयकर कानूनी भूल की है जो इसी आधार पर निरस्त होने योग्य है। अपीलार्थिया/वादियां द्वारा अपने कायम मुकाम के प्रार्थना पत्र के साथ परिसीमा अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत किया गया जिसमें कथन किया गया कि अपीलार्थिया/वादियां को प्रत्यर्थी हनुमान प्रसाद की मृत्यु की जानकारी दिनांक 10.08.2015 के पूर्व कतई नहीं थी। दिनांक 10.08.2015 को अपीलार्थिया/वादियां का पुत्र शंकर अपने बुआजी से मिलने दिल्ली गया था तथा प्रत्यर्थी संख्या 1 हनुमान प्रसाद भी दिल्ली में निवास करता था। प्रत्यर्थी संख्या 1 हनुमान प्रसाद की पुत्रियां जयपुर में निवास करती है। उक्त दिवस को अपीलार्थिया/वादियां के पुत्र को बुआजी श्रीमती जेठी द्वारा बताया गया है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 हनुमान प्रसाद की मृत्यु जयपुर में हो चुकी है। चूंकि वह गत दो वर्षो से जयपुर में निवास कर रहा था। अपीलार्थिया/वादियां के पुत्र को उक्त जानकारी होने पर तथा उसके

पुत्र द्वारा उक्त समस्त तथ्यों की जानकारी अपीलार्थिया/वादिया को हुई। इससे पूर्व अपीलार्थिया/वादिया को हनुमान प्रसाद की मृत्यु की जानकारी कतई नहीं थी। जिस बाबत् अपीलार्थिया/वादियां व उसके पुत्र शंकर का शपथ पत्र भी प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रस्तुत किया गया था। उन पर गौर ना फरमाकर पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री घोर कानूनी भूल वाली है जो माननीय न्यायालय द्वारा अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थिया/वादियां के प्रार्थना पत्र कायम मुकाम व प्रार्थना पत्र परिसीमा अधिनियम का कोई जवाब रिकॉर्ड पर ना होते हुए भी तथा अपीलार्थिया/वादियां के कथनों का खण्डन किसी प्रकार का ना होते हुए भी माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना ज्यूडिशल माईन्ड अपलाई किये अपीलाधीन निर्णय व डिक्री यह कहते हुए पारित की गई कि प्रत्यर्थी संख्या 1 की मृत्यु पर उसके कायम मुकामान का प्रार्थना पत्र निर्धारित अवधि में प्रस्तुत ना किये जाने पर अपीलार्थिया/वादियां का वाद स्वतः अबेट हो जाने से तथा आदेश 22 नियम 9 जाप्ता दीवानी का प्रार्थना पत्र पेश ना किये जाने से वाद को खारिज किया जाता है। अपीलार्थिया/वादियां द्वारा प्रार्थना पत्र कायम मुकामान व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 का प्रस्तुत किया गया तथा न्यायिक दृष्टान्त भी प्रस्तुत किये गये। अपीलार्थिया/वादिया द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 2008 (3) सी.सी.सी. पेज 766 राज. प्रस्तुत की गई जिसमें यह विनिश्चय किया गया है कि प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सी.पी.सी. का प्रस्तुत किया है, जबकि आदेश 22 नियम 9 सी.पी.सी. व धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत नहीं किया गया जिस पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आदेश 22 नियम 3 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र को आदेश 22 नियम 9 का मानकर कायम मुकाम को रिकॉर्ड पर लिया गया तथा इसी प्रकार का विनिश्चय अपीलार्थिया/वादियां द्वारा प्रस्तुत अन्य न्यायिक दृष्टान्त 1999 डी.एन. जे. राजस्थान पेज नम्बर 133, 2010 वोल्यूम 1 आर. आर. टी. 167, 2009 (2) आर.आर. टी. 1092, डब्ल्यू एल. सी. 2010 (4) पेज नम्बर 555 में भी उल्लेखित किया गया है जिस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.11.2015 अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थिया/वादियां का वाद आदेश 22 नियम 9 जाप्ता दीवानी का प्रार्थना पत्र पेश ना किये जाने से वाद को खारिज किया जाकर निर्णय व डिक्री दिनांक 9.11.2015 को पारित की गई है जबकि उक्त आदेश 22 नियम 9 जाप्ता दीवानी के तहत वाद में निर्णय व डिक्री कतई पारित नहीं की जा सकती। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 में आदेश 22 नियम 9 जाप्ता दीवानी के तहत पारित आदेश की अपील धारा 225 में पोषनीय है जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थिया/वादियां का वाद आदेश 22 नियम 9 के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण खारिज फरमाया जाकर निर्णय व डिक्री दिनांक 09.11.2015 पारित की गई जो कि विधि विरूद्ध होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है।

4– अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंटस को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त कर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

5– अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस प्रस्तुत कर अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि अपीलार्थिया वादियां बिल्कुल अनपढ है और उसकी शादी करीब 12 वर्ष की उम्र में होने जाने से ससुराल में निवास कर रही है। अपीलार्थिया के पिता की मृत्यु के पश्चात् उसके चाचा भैरा व नान्छा वादग्रस्त भूमि बंटाई पर काश्त करते थे तथा बंटाई का हिस्सा अपीलार्थिया देते आये हैं। अपीलार्थिया अनपढ होने तथा पैतृक गांव से दूर होने के कारण यह नहीं जान सकी कि उसकी पिता की मृत्यु के बाद पिता के हिस्से की जमीन किस के नाम चल रही है। अगस्त 2005 में जब अपीलार्थिया अपने पैतृक गांव चचेरे भाईयों को राखी बांधने तथा बंटाई का हिस्सा लेने आई तो भाईयों ने राखी बंधवाने एवं बंटाई का हिस्सा देने से मना कर दिया। इसके संबंध में जब गांव में जानकारी ली तो ज्ञात हुआ कि चचेरे भाईयों ने वादिया के हिस्से की जमीन को खुर्द–बुर्द कर दिया है। तब वादिया ने भूमि से संबंधित कागजातों की नकल के लिए दिनांक

19.08.2005 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया एवं दिनांक 09.09.2005 को नकलें प्राप्त की गई। तब अपीलार्थिया को इस बात का ज्ञान हुआ कि उनके पिता परता की मृत्यु के पश्चात नानछा उर्फ नन्छू उर्फ नानूराम व नारायण द्वारा उसके 1/3 हिस्से की भूमि अपने नाम दर्ज करवा ली है। जबकि परता की एकमात्र वारिस अपीलार्थियां थी। न्यायालय के समक्ष दावा प्रस्तुत किया गया तथा दावे में पत्रावली वास्ते जिरह वादिया नियत थी। वादियां द्वारा दिनांक 25.08.2015 को एक प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रेस्पोडेंट संख्या 1 हनुमान के फौत हो जाने की सूचना दी गई तथा प्रार्थना पत्र में वादिया द्वारा कथन किया गया कि वह मृतक हनुमान के वारिसों से अनभिज्ञ है। वादिया द्वारा दिनांक 29.10.2015 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया है तथा साथ ही प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी जाकर दिनांक 09.11.2015 को अपीलार्थिया वादिया का वाद अवैध रूप से अबेट फरमा दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादिया के अधिवक्ता द्वारा आदेश 22 नियम 10 ए सी.पी.सी. की ओर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट कर कथन किया गया था कि मृतक हनुमान के अधिवक्ता का भी यह विधिक दायित्व था कि वह अपने पक्षकार की मृत्यु की सूचना न्यायालय में देते परन्तु उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कायम मुकाम व प्रार्थना पत्र परिसीमा अधिनियम का कोई जवाब देकर वादिया के कथनो का खंडन नहीं किया गया था फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री यह कहते हुए पारित कर दी गई कि आदेश 22 नियम 9 सी.पी.सी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपीलार्थिया द्वारा न्यायिक दृष्टान्त 2008 (3) सी.सी.सी. पेज 766 प्रस्तुत कर न्यायालय का ध्यान उसमें पारित किये गये सिद्धान्त की ओर दिलवाया गया था जिसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आदेश 22 नियम 3 सी. पी.सी. के प्रार्थना पत्र को आदेश 22 नियम 9 मानकर कायम मुकाम रिकॉर्ड पर लिये गये थे। इसी प्रकार अन्य न्यायिक दृष्ट्रान्त भी प्रस्तुत किये गये थे जिनकी ओर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया गया। आदेश 22 नियम 9 के तहत खारिज वाद में निर्णय व डिक्री पारित नहीं की जा सकती है क्योंकि उक्त प्रावधानों के अन्तर्गत पारित निर्णय को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 में आदेश माना गया है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादिया का वाद खारिज फरमाया जाकर निर्णय व डिक्री दिनांक 09.11.2015 पारित कर दी गई है जो कि अपास्त योग्य है। अधिवक्ता अपीलार्थिया द्वारा अपनी बहस में उक्त कथन किये जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 09.11.2015 को निरस्त फरमाया जाकर हनुमान पुत्र भैरया के कायम मुकाम को रिकॉर्ड पर लिये जाने की आज्ञा प्रदान किये जाने का अनुतोष चाहा गया।

6– अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया कि मृतक हनुमान के वारिसान रिकॉर्ड पर लिये जाने हेतु वादिया द्वारा विलम्ब से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तथा विलम्ब के कोई स्पष्ट कारण नहीं दिये गये थे। मृतक के कायम मुकामान को समय अवधि में रिकॉर्ड पर नहीं लिये जाने से अपील स्वतः ही अबेट हो चुकी थी तथा उक्त अबेटमेन्ट को निरस्त करने के लिए वादिया द्वारा आदेश 22 नियम 9 के तहत कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। वादग्रस्त भूमि सह–स्वामित्व की होने से मृतक के वारिसान को रिकॉर्ड पर नहीं लिये जाने से सम्पूर्ण वाद अबेट हो चुका था। वादियां द्वारा स्वतः हुए अबेटमेन्ट को निरस्त करवाये जाने बाबत् कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था तथा वादियां का वाद घोषणा का होने से एक संयुक्त खातेदार की हद तक वाद अबेट होने से सम्पूर्ण वाद का अबेटमेन्ट हो जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादिया के वाद को अबेटमेन्ट के आधार पर खारिज होने का जो निर्णय व डिक्री पारित किया गया है वह सर्वथा विधि अनुरूप है तथा अपील अपीलान्ट खारिज योग्य है। अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा अपनी बहस में समर्थन में न्यायिक दृष्ट्रान्त क्रमशः डब्ल्यू.एल.सी. 1992(1) राज. 516, 2013(2) आर.आर.टी. 1415, 2010(2) आर.आर.टी. 1437 एस.सी., 2003(1) आर.आर.टी. 343, 2010(2) आर.आर.टी. 1458, 2009 ए.आई.

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

आर. एस.सी. 2907–एस.सी., ए.आई.आर. 1998 एस.सी. 2276–एस.सी., 2007 आर.बी.जे. 438 एस.सी., 2015 (1) आर.आर.टी. 232 प्रस्तुत किये गये है।

7– उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अपीलाधीन निर्णय में उल्लेख किया है कि "वादिया व वादिया के अधिवक्ता द्वारा जान–बूझकर कायम मुकाम प्रार्थना पत्र पेश करने में विलम्ब किया गया है। 2010 (1) आर.आर.टी. 168 में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी. का आवेदन निहित अवधि में नहीं किया गया है तो उपशमन (अबेटमेन्ट) स्वतः ही हो जाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है इसलिए वादिया प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ आदेश 22 नियम 9 का प्रार्थना पत्र पेश किया जाना आवश्यक था जो प्रार्थिया द्वारा पेश नहीं किया गया है अतः कानूनी रूप से स्वतः अबेट हुए वाद के अबेटमेन्ट को खारिज किये जाने पर विचार करने का कोई आधार नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में केवल वाद के अबेटमेन्ट का औपचारिक आदेश ही पारित होना है। वादिया का वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का है जिसमें मुख्य रिलीफ प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से के संबंध में ही है। अतः वाद पूर्ण रूप से अबेट हो चुका है।" अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपर्युक्त विवेचन के उपरान्त वादिया का वाद स्वतः अबेट हो जाने से तथा आदेश 22 नियम 9 जाब्ता दीवानी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने के आधार पर खारिज किया गया है। अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त डब्ल्यू. एल. सी. 1992 (1) राजस्थान 516, 2013 (2) आर.आर.टी. 1415 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि आदेश 22 नियम 9 के अन्तर्गत उपशमन अपास्त करने हेतु आवेदन पेश नहीं किये जाने से उपशन अपास्त नहीं किया जा सकता है। न्यायिक दृष्टान्त 2010 (2) आर.आर.टी. 1437 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि प्रत्येक सह–स्वामी का सम्पति में स्वतंत्र अधिकार है तथा सह–स्वामी के वारिसान को रिकॉर्ड पर नहीं लिये जाने से विरोधाभासी डिक्री पारित होने की सम्भावना होने से पूर्ण अपील उपशमित हो जाती है। प्रस्तुत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 हनुमान पुत्र स्व. भैरया की मृत्यु सन् 25.04.2014 में हो चुकी थी तथा मृतक के वारिसान को रिकॉर्ड पर लिये जाने बाबत् प्रार्थना पत्र दिनांक 29.10.2015 को प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में विलम्ब के संबंध में कोई स्पष्ट व पर्याप्त कारण का उल्लेख प्रार्थिया द्वारा नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त वारिसान को नियत समय अवधि में रिकॉर्ड पर नहीं लिये जाने से वाद स्वतः ही उपशमित हो चुका था तथा उक्त उपशमन को अपास्त किये जाने के संबंध में कोई प्रार्थना पत्र प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र विधिक एवं विवेकपूर्ण विवेचन किये जाने के उपरान्त खारिज किया गया है तथा उपशमन को अपास्त किये जाने का कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने से उपशमन के आधार पर वाद को खारिज किया गया है जिसमें कोई सारभूत त्रुटि किया जाना दृष्टिगोचर नहीं होता है एवं अपील अपीलान्ट खारिज योग्य पाई जाती है।

8– अतः अपील अस्वीकार कर खारिज की जाती है तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 09.11.2015 यथावत रखे जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

9– निर्णय आज दिनांक 04–01–2018 को सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर